फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

कालू वगै0 बनाम घीसा वगै0

मुकदमा संख्या :–21/2020

दिनांक	आज्ञा – पत्र
11.08.2020	

प्रार्थना पत्र तहत धारा 151 सीपीसी बाबत विद्युत कनेक्शन की स्वीकृति के क्रम में

आदेश

दिनांकः– 11.08.2020

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि मुकदमा सं0 73/2016 उनवानी कालू बनाम घीसा वगै0 का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमूं, जिला जयपुर में पेश किया गया था। जिसमें उपखण्ड अधिकारी, चौमूं द्वारा एकपक्षीय निर्णय दिनांक 14.06.2016 को खसरा नम्बर 375, 376, 377, 378, 382, 383, 385/1221, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 823, 966, 967, 968, 969 कुल किता 26 का कुल रकबा 8.67 हैक्टेयर वाके ग्राम सान्दरसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में उभय पक्षकारान को मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के अस्थाई आदेश जारी किए गए थे जोकि दिनांक 12.02.2020 के आदेश द्वारा ताफैसला वाद स्थाई किया गया था। उक्त वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित विवदित भूमियों का मौके पर मनबंट कर बंटवारा कर रखा है। प्रार्थीगण के खसरा नं0 777 में बने चाह व बोरिंग में विद्युत कनेक्शन खाता सं0 1507/0082 लगा हुआ था। जोकि पूर्व में विच्छेद हो गया था। जिसको पुनः चालू कराना चाहते हैं। किन्तु उक्त भूमि पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमूं, जिला जयपुर द्वारा जारी स्थगन आदेश के कारण विद्युत कनेक्शन चालू नहीं किया जा रहा है तथा विद्युत विभाग द्वारा प्रार्थीगण को दिनांक 24.07.2020 को उक्त स्थगन के बाबत नोटिस दिया जा चुका है। प्रार्थीगण के उक्त भूमि में पूर्व से चले आ रहे उक्त विद्युत कनेक्शन की प्रार्थीगण के पीने हेतु एवं प्रार्थीगण के जानवरों के पीने के पानी हेतु उक्त कनेक्शन को पुनः चालू करवाने की आवश्यकता है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर यह निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमूं, जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 12.02.2020 [illegible] हुए प्रार्थीगण के विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 1507/0082 को पुनः चालू करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 12:07:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमूं, जिला जयपुर द्वारा दिनांक 12.02.2020 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया है। प्रार्थीगण चाह व बोरिंग हेतु विद्युत कनेक्शन खाता सं0 1507/0082 पुनः चालू करवाना चाहते हैं, जोकि मूलभूत आवश्यकताओं में होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमूं, जिला जयपुर द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 12.02.2020 में छूट प्रदान करते हुए प्रार्थीगण को विद्युत कनेक्शन खाता सं0 1507/0082 को पुनः चालू करवाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेश आज दिनांक 11.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
चौमूं

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 12:07:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner